XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वासगीत पर्चा वाद संख्या–69/2009

1. देवन ऋषि, पिता–स्व0 चतुरी ऋषि,
2. मिथिलेश ऋषि, पिता–देवन ऋषि
3. दिनेश ऋषि, पिता–देवन ऋषि

सभी साकिनान–बुआरी, थाना–सदर (डगरूआ ओ0पी0), जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदकगण

बनाम्

बीरवल ऋषि, पिता–सुन्दर ऋषि, साकिन–बुआरी, थाना–सदर (डगरूआ ओ0पी0), जिला–पूर्णियाँ.....

विपक्षी

आदेश

आवेदक अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–70/1994–95 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–बुआरी, खाता संख्या–317, खेसरा संख्या–546, रकवा–0.04 एकड़ जमीन का भूस्वामी शेख बुलाकी, पिता–शेख नजमुल थे और सुखाई ऋषि उस जमीन के सिकमी दखलकार थे। सुखाई ऋषि उपरोक्त जमीन पर घर बनाकर मृत्यु के समय तक रहे, तदुपरान्त उसके एकमात्र पुत्र चतुरी ऋषि आवेदक संख्या–1 के पिता दखलकार थे। चतुरी ऋषि के मृत्यु के बाद आवेदक सपरिवार उपरोक्त जमीन पर निवास कर रहा है। आवेदकगण गरीब मजदूर है और बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत सारा लाभ ले रहा है। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत तीनों आवेदक के पत्नी के नाम घर बनाने के लिये राशि मिला। घर बनाने का काम खिड़की की उँचाई तक पहुँचा था, उसी समय विपक्षी आवेदकगण से कहा कि मुझे इस जमीन का वासगीत पर्चा मिला है। अतः तुमलोंग घर तोड़कर जमीन खाली करों। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा बिना स्थल जाँच किये एवं आवश्यक प्रक्रियाओं को पालन किये बगैर पर्चा निर्गत किया गया, जो नियम के विरूद्ध है। यदि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा रद्द नहीं होता है तो आवेदकगण के साथ अन्याय होगा।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 11.11.2011 को सुनवाई की गयी। आवेदक का कहना है कि विवादित जमीन पर उनका घर है एवं तीनों आवेदकगण के द्वारा उक्त जमीन पर इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है एवं पूर्व से ही उस मकान में रह रहे है। अंचलाधिकारी के द्वारा गलत ढ़ंग से विपक्षी के नाम उक्त जमीन का वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जो सरासर गलत है।

विपक्षी के द्वारा कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया एवं सुनवाई में भी विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। उनके द्वारा सिर्फ यह कहा गया कि विवादित जमीन को छोड़कर उनके पास कोई जमीन नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा दोनों पक्ष को

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा विधि सम्मत नहीं है। निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई 02 माह के अन्दर करने का निदेश अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व को दिया जाता है। इस निर्णय के साथ वाद समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	